तृतीय झारखण्ड विधान-सभा का द्वादश सत्र
सत्र-विवरणिका

1. **सत्र का आहवान एवं सभा की बैठकें**

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा के द्वादश सत्र (शीतकालीन) का आह्वान दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को हुआ जिसमें सभा की कुल छः बैठकें दिनांक– 13 दिसम्बर, 16 दिसम्बर, 17 दिसम्बर, 18 दिसम्बर, 19 दिसम्बर एवं 20 दिसम्बर, 2013 को हुईं ।

2. **सत्र का आरम्भ**

झारखण्ड विधान-सभा का द्वादश सत्र (शीतकालीन) का आरम्भ दिनांक- 13.12.2013 को 11.00 बजे पूर्वा0 में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के प्रारम्भिक सम्बोधन से हुआ ।

3. **सभापति का मनोनयन**

झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत् द्वादश (शीतकालीन) सत्र के लिए माननीय सदस्य – (1) श्री लोबिन हेम्ब्रम (2) श्री फूलचन्द मण्डल (3) श्री रघुवर दास (4) श्री सौरभ नारायण सिंह एवं (5) श्री जनार्दन पासवान सभा के सभापति मनोनीत किये गये ।

4. **समितियों का गठन**

झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के तहत् द्वादश सत्र के लिए गठित कार्य मंत्रणा समिति के निम्नलिखित माननीय सदस्य नामित किये गयेः-

(1) श्री शशांक शेखर भोक्ता , अध्यक्ष, सभापति (2) श्री हेमन्त सोरेन , मुख्यमंत्री (3) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, संसदीय कार्यमंत्री (4) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (5) श्री अर्जुन मुण्डा, नेता प्रतिपक्ष (6) श्री प्रदीप यादव एवं (7) श्री सुदेश कुमार महतो ।

विशेष आमंत्रित सदस्यः- (1) श्री गोपाल कृष्ण पातर (2) श्री विनोद कुमार सिंह (3) श्री विदेश सिंह (4) श्रीमती गीता कोड़ा (5) श्री बंधु तिर्की (6) श्री अरुप चटर्जी (7) श्री लोबिन हेम्ब्रम (8) श्री रघुवर दास (9) श्री अरविन्द कुमार सिंह (10) श्री सरफराज अहमद ।

5. **अनुमत विधेयक**

सभा के गत सत्र में स्वीकृत तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की निम्नांकित विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई -

क्र0 सं0	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2013	06.08.2013	04/2013

6. **प्रश्नकाल**

इस शीतकालीन सत्र में 88 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें कुल 83 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए। सभा में कुल 09 प्रश्न उत्तरित तथा 79 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल 307 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें कुल 300 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए। कुल 24 प्रश्न उत्तरित तथा 283 प्रश्न अनागत हुए।

7. **मुख्यमंत्री प्रश्नकाल**

दिनांक - 16.12.2013 को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान निम्नलिखित माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये, वे इस प्रकार हैः-

सदस्य	प्रश्न
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	ग्रेटर राँची (नई राजधानी) बनाये जाने के सम्बन्ध में
श्री विनोद कुमार सिंह	महिला के प्रति किये जा रहे अपराध को रोकने हेतु महिला पुलिस पदाधिकारियों की पदस्थापना
श्री रामदास सोरेन	सरना कोड को लागू करना
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	सरकार द्वारा पंचायतों के विकास हेतु निर्गत राशि में विधायकों की सहभागिता
श्री रघुवर दास	झारखण्ड राज्य में स्थानीयता की नीति परिभाषित करने के सम्बन्ध में
श्री कृष्णानंद त्रिपाठी	राज्य में खासमहाल की जमीनों के लीज के मामले का निष्पादन
श्री चन्द्रिका महथा	दलित आयोग का गठन
श्री जगरनाथ महतो	कृषक मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में
श्री प्रदीप यादव	विस्थापन पुनर्वास आयोग के गठन के सम्बन्ध में

8. **विविध चर्चा**

दिनांक		**विषय**
13.12.2013	1.	प्रश्नोत्तर काल के दौरान सभा में सदस्यों की आसन व्यवस्था पर माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा आपत्ति जतायी गयी तथा एम0एन0 कौल एण्ड शकधर द्वारा लिखित पुस्तक Practice and procedure of Parliament में अंकित व्यवस्था की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया जिस प र आसन द्वारा जानकारी दी गयी कि यह व्यवस्था दलों के अनुसार विचारोपरांत की गयी है तथापि इसे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विचार किया जायेगा।
	2.	झारखण्ड राज्य में स्थानीयता की नीति को लागू करने सम्बन्धी मामले कतिपय सदस्यों द्वारा उठाया गया।
	3.	माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने विधायक गृह निर्माण

		समिति को भूखण्ड आवंटित किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।
	4.	माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा विधायक निधि को विमुक्त किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।
	5.	माननीय सदस्य श्री रघुवर दास ने दिनांक 16.12.2013 को अधिकारी दीर्घा में बाह्य व्यक्ति के बैठने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।
17.12.2013	1.	राज्य में बालूघाटों की नीलामी रद्द किये जाने की मांग कई माननीय सदस्यों द्वारा की गई और इस विषय पर सदन में विशेष बहस की मांग के संदर्भ में आसन द्वारा इसे कार्यमंत्रणा समिति में लाये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।
	2.	श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना रिजर्वेशन जम्मू भेजे जाने तथा राँची के बड़ा तालाब में बोटिंग दुर्घटना के फलस्वरुप चार व्यक्तियों की मृत्यु का मामला उठाया गया।
	3.	श्री हरिकृष्ण सिंह, स0वि0स0 द्वारा प्रशिक्षण पा रहे सहिया लोगों के लिए आवासन की व्यवस्था हेतु आग्रह किया गया।
	4.	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी , स0वि0स0 द्वारा माननीय विधायकों के अधीन चापाकलों के कोटे को बढ़ाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।
	5.	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह , स0वि0स0 एवं श्री नवीन जयसवाल , स0वि0स0 द्वारा सत्रावधि के दौरान बिरसा चौंक के मेन गेट को प्रशासन द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण एच 0ई0सी0 कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं को होनेवाली कठिनाईयों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।
20.12.2013	1	श्री विनोद कुमार सिंह , स0वि0स0 द्वारा समाचार-पत्रों में प्रकाशित दुष्कर्म की हुई घटनाओं के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया जिस पर आसन द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को संज्ञान में लेने का निदेश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा श्री विनोद कुमार सिंह , स0वि0स0 द्वारा उठाये गये मामले के संबंध में रिम्स, राँची में महिला पुलिस की नियुक्ति कर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा फास्टट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने की घोषणा की गयी।

9. **<u>शून्यकाल</u>**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 67 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी गईं अथवा पढ़ी गई मानी गयीं ।

10. **ध्यानाकर्षण सूचना**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 25 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ स्वीकृत की गई जिनमें सरकार द्वारा कुल 17 ध्यानाकर्षण सूचनाओं का वक्तव्य दिया गया । शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु दिनांक 20.12.2013 को सौंपा गया ।

11. **कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना**

दिनांक - 16.12.2014 को श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0, श्री मिस्त्री सोरेन, स0वि0स0 एवं श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिये गये कार्य स्थगन प्रस्तावों को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किया गया, परन्तु आसन की अनुमति से उनके द्वारा सूचनायें पढ़ी गयीं।

दिनांक - 17.12.2014 को श्री निर्भय कुमार शाहाबादी , स0वि0स0 एवं श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स0वि0स0 द्वारा दिये गये कार्य स्थगन प्रस्तावों को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किया गया , परन्तु आसन की अनुमति से दोनों सदस्यों द्वारा सूचनायें पढ़ी गयीं।

12. **सभा मेज पर कागजात रखा जाना**

दिनांक	विषय	भारसाधक सदस्य
13.12.2013	• भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे। • दशम् एवं एकादश सत्र के आश्वासन से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन	वित्त मंत्री
16.12.2013	सरकार की वित्तीय नीतियों एवं मध्यावधि वित्तीय योजना वर्ष - 2012-13 और आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष - 2012-13 की प्रति	वित्त मंत्री
17.12.2013	झारखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय) नियमावली, 2013	संसदीय कार्य मंत्री
19.12.2013	झारखण्ड राज्य सूचना आयोग से प्राप्त वर्ष 2012 की वार्षिक प्रतिवेदन	मुख्यमंत्री

13. **समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

दिनांक	**प्रतिवेदन**	**सभापति**
16.12.2013	कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन	श्री प्रदीप यादव
17.12.2013	गैर सरकारी संकल्प समिति का द्वितीय प्रतिवेदन	श्री अरूण मण्डल
	सामान्य प्रयोजन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन	श्री विनोद कुमार सिंह
	सरकारी उपक्रम समिति का आठवाँ, नौवाँ एवं दसवाँ प्रतिवेदन	श्री विद्युत वरण महतो
	सरकारी आश्वासन समिति का बीसवाँ , इक्कीसवाँ, बाईसवाँ, तेईसवाँ	श्री लोबिन हेम्ब्रम

	तथा चौबीसवाँ प्रतिवेदन	
18.12.2013	लोक लेखा समिति का बीसवाँ एवं इक्कीसवाँ प्रतिवेदन	श्री रघुवर दास
	दशम् एवं एकादश सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति	सभा सचिव
19.12.2013	कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन	श्री रघुवर दास
20.12.2013	ए0सी0सी0 कम्पनी, झींकपानी से संबंधित विशेष समिति का प्रतिवेदन	श्री दीपक बिरूवा
	महिला एवं बाल विकास समिति का सप्तम् प्रतिवेदन	श्रीमती मेनका सरदार

14. **निवेदन**

इस सत्र में स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 36 थीं जिन्हें नियम 263(1) के तहत् विभागों को भेजने पर दिनांक – 20.12.2013 को सभा की सहमति हुई।

15. **वित्तीय कार्य**

(1) दिनांक – 13.12.2013 को श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह , (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए 1447.95 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट सभा में उपस्थापित किया गया।

(2) दिनांक - 16.12.2013 एवं दिनांक - 17.12.2013 को द्वितीय अनुपूरक पर सामान्य चर्चा हुई।

(3) दिनांक – 17.12.2013 को श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से संबंधित मांग सभा में पेश की गई। चर्चा के उपरांत इस मांग से सम्बन्धित कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की मांग सभा द्वारा स्वीकृत की गई। तत्पश्चात् अनुपूरक अनुदान में शामिल शेष विभागों की अनुदान मांगें सभा द्वारा गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृत की गयीं।

16. **आसन द्वारा घोषणा**

दिनांक - 13.12.2013

- माननीय सदन नेता श्री हेमन्त सोरेन से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आसन द्वारा श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0, श्री राजेश रंजन, स0वि0स0 एवं श्री संजय कुमार सिंह यादव, स0वि0स0 को क्रमशः सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के रूप में मान्यता दिनांक 09.12.2013 से दिये जाने की सूचना दी गयी।

दिनांक - 20.12.2013

- इस सत्र में स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनायें जिस पर सदन में वक्तव्य नहीं हो सका तथा वैसी सूचनायें जो वक्तव्य के लिए स्वीकार नहीं की गयीं तथा जो कार्य

स्थगन की सूचनायें प्राप्त हुई है उन्हें संबंधित विभागों में भेजे जाने एवं 15 दिनों के अन्दर लिखित उत्तर प्राप्त करने की निदेश आसन से दिया गया।

17. **कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयः**

दिनांक - 13.12.2013 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिये गयेः-

अनुपूरक पर दो दिन 16.12.2013 एवं 17.12.2013 को सामान्य चर्चा एवं 17.12.2013 को ही अनुदानों मांगों पर चर्चा एवं मतदान, विनियोग विधेयक सभा में उपस्थापन एवं पारित किया जाएगा।

दिनांक - 18.12.2013 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिये गयेः-

राज्य में बालू घाट निलामी पर विशेष चर्चा।

18. **विधायी कार्य**

इस सत्र में पारित कुल विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार से है -

सभा में उपस्थापन एवं पारित होने की तिथि	विधेयक
17.12.2013	01. झारखण्ड विनियोग विधेयक (संख्या-04), 2013
18.12.2013	01. झारखण्ड विवाह निबंधन विधेयक, 2013 02. झारखण्ड आकस्मिकता निधि विधेयक, 2013
20.12.2013	01. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन), विधेयक, 2013

19. **विशेष वाद-विवाद**

दिनांक – 18.12.2013 को सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक – 19.12.2013 को "राज्य में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया और उससे उत्पन्न स्थिति" पर विशेष चर्चा हुई।

20. **सदन द्वारा निन्दा का प्रस्ताव**

दिनांक - 20.12.2013 को बिहार के पूर्णिया जिले में अनुसूचित जन- जाति के लोगों पर हुए जुल्म एवं हिंसक कार्रवाई की घटना की निन्दा सदन द्वारा सर्वसम्मति से की गई तथा सभा की भावना से बिहार सरकार को अवगत कराने के साथ अनुसूचित जन- जातियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित कराने का अनुरोध किये जाने का निदेश दिया गया।

21. **शोक प्रकाश**

दिनांक – 19 दिसम्बर, 2011 को विगत् सत्र और इस सत्र के बीच दिवंगत राजनेताओं, समाजसेवियों, साहित्यकारों, कलाकारों यथा – स्व0 नेल्सन मंडेला, स्व0 रूद्र प्रताप षाड़ंगी, स्व0 मोहन सिंह, स्व0 डॉ0 ईश्वर दास रोहाणी, स्व0 बालेश्वर पासवान, स्व0 दीनानाथ मिश्र, स्व0 राजगीर चौधरी, स्व0 सनातन सरदार, स्व0 राम प्रवेश पासवान , स्व0 रोमेश भंडारी, स्व0 विट्ठल भाई पटेल, स्व0 प्रो0 लुतफुर रहमान, स्व0 हरि किशोर सिंह, स्व0 दिलीप सिंह जूदेव, स्व0 देवेन्द्र प्रसाद यादव , स्व0 अरुण नेहरू, स्व0 समर मुखर्जी, स्व0 राजेन्द्र

यादव, स्व0 रेशमा, स्व0 के0पी0 सक्सेना, स्व0 फादर सी0 डिब्रावर, स्व0 मन्ना डे, स्व0 सुष्मिता बनर्जी स्व0 राजगीर चौधरी एवं आशीर्वाद टाना भगत तथा विभिन्न दुर्धटनाओं में जिनका अकस्मात् निधन हुआ, उन सबके प्रति सभा द्वारा शोक-संवेदना प्रकट की गई एवं दो मिनट का मौन रखा गया।

22. **<u>सभा का स्थगन</u>**

दिनांक	कार्यवाही की अवधि	अन्तराल	स्थगन की अवधि
13.12.2013	11.10 बजे पूर्वा0–12.05 बजे पूर्वा0 तक	-	-
16.12.2013	11.05 बजे पूर्वा0–01.00 अप0 तक	01.00 बजे अप0– 02.10 बजे अप0	-
	02.10 बजे अप0– 04.00 बजे अप0 तक		
17.12.2013	11.05 बजे पूर्वा0–11.15 बजे पू0 तक	01.00 बजे अप0– 02.10 बजे अप0	15 मिनट
	11.30 बजे पूर्वा0–12.55 बजे अप0 तक		
	02.10 बजे अप0–06.05 बजे अप0 तक		
18.12.2013	11.00 बजे पूर्वा0–01.00 बजे अप0 तक	02.00 बजे अप0– 02.35 बजे अप0	-
	02.35 बजे अप0–02.40 बजे अप0 तक		
19.12.2013	10.10 बजे पूर्वा0–01.05 बजे अप0 तक	01.05 बजे अप0– 02.05 बजे अप0	-
	02.05 बजे अप0–04.25 बजे अप0 तक		
20.12.2013	10.35 बजे पूर्वा0-10.50 पूर्वा0 तक	12.30 बजे अप0- 02.10 बजे अप0	30 मिनट
	11.20 बजे पूर्वा0-11.35 बजे पूर्वा0 तक		20 मिनट
	11.55 बजे पूर्वा0-12.10 अप0 तक		20 मिनट
	02.10 बजे अप0-02.40 बजे अप0 तक		10 मिनट
	02.50 बजे अप0-03.10 बजे अप0 तक		03.10 बजे अप0 से अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित

दिनांक 20.12.2013 को सभा की कार्यवाही अप0 03.10 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।